ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–3/अ०प्र०–1–170/14 03 /पटना, दिनांक :– 6.1.2020

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 01 दिनांक 12.11.2014 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में सितम्बर 2014 में कार्य प्रमंडल, महुआ के कैश बुक की जांच करते हुए कैश बुक में रूपये 35,80,629/– राशि रोकड़बही में अंतःशेष के रूप में पाये जाने तथा उक्त राशि को सरकारी राजस्व में जमा करने का ठोस प्रयास नहीं किये जाने के कारण श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4455 अनु0 दिनांक 08.12.2014 द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, महुआ को संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1768 दिनांक 18.12.2014 द्वारा संबंधितों के विरूद्ध महुआ थाना कांड संख्या–515/14 दिनांक 19.12.2014 दर्ज कराये जाने की सूचना दी गयी।

3. अभियंता प्रमुख द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2011 अनु0 दिनांक 23.06.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विभागीय निदेश के आलोक में श्री शर्मा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसके समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए कार्यालय आदेश संख्या–25–सह–पठित ज्ञापांक 713 दिनांक 11.04.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. मुख्य अभियंता–3 के पत्रांक 6668 अनु0 दिनांक 18.09.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया, जिसके समीक्षोपरांत सहमति संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 2922 अनु0 दिनांक 12.12.2018 द्वारा श्री शर्मा से द्वितीय बचाव की मांग की गयी।

5. विभागीय निदेश के आलोक में श्री शर्मा द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। जिसमें श्री शर्मा द्वारा उल्लेख किया गया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा मेरे सहित सात पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध थाना कांड संख्या–515/14 दर्ज कराया गया, जबकि मेरे द्वारा परिमाण विपत्र बिक्री मद से प्राप्त राशि को ससमय उपकोषागार, महुआ में जमा करा दिया गया था, परंतु इस तथ्य को छुपाकर मेरे विरूद्ध थाना कांड दर्ज करा दिया गया। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी सरकारी राजस्व की क्षति नहीं पहुंचाई गयी अथवा विलंब से राजस्व जमा नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर मेरी जमानत मंजूर की गयी। महुआ थाना कांड संख्या–515/14 में उल्लेखित राशि 35,80,629/– रूपये में 20,30,000/–की राशि मेरे पूर्व से हीं प्रमंडल में दो रोकड़पाल श्री रविभूषण सिन्हा (सम्प्रति सेवानिवृत) एवं श्री विनोद कुमार (सम्प्रति सेवानिवृत) के समय का था, जिसका प्रभार मुझे कागजी तौर पर मिला। जिसे मेरे एवं श्री राजकुमार मंडल, पत्राचार लिपिक के प्रयासों से सरकारी कोष में जमा हो पाया। शेष राशि 15,50,629/– राशि मेरे पदस्थापन के पश्चात् श्री राजकुमार मंडल, पत्राचार लिपिक के कार्यकाल का है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट है कि महुआ थाना कांड संख्या–515/14 दिनांक 19.12.2014 से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसकी पुष्टि थाना कांड के अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली के समक्ष प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन से होती है, जिसमें तथ्यों की भूल माना गया है और विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों की लापरवाही को बताया गया है। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के समक्ष मेरे द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि उक्त राशि 15,50,629/– से मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। मेरे बचाव बयान से संतुष्ट होते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–58–सह–पठित ज्ञापांक 2032 दिनांक 20.08.2018 द्वारा निलंबन मुक्त एवं सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के पत्रांक 460 दिनांक 20.02.2019 द्वारा आरोपों से मुक्त किया गया।

6. श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के अवलोकनोपरांत पाया गया कि श्री शर्मा को सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा महुआ थाना कांड संख्या–515/14 में उल्लेखित लंबित राशि 35,80,629/– के आरोपों से मुक्त किया जा चुका है।

अतएव उक्त आलोक में श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार को आरोप मुक्त किया जाता है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–170/14 79 पटना/दिनांक :– 6.1.2020

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ एवं महनार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–08, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री दिनेश प्रसाद शर्मा, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख